

172

56

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :66/प्र0अ0-भवन/जोन-4/शमन/2010-11 दिनांक 22/07/2014

विनियमितीकरण/अनुमति-पत्र

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत विनियमितीकरण तथा धारा 14/15 के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण की अनुमति दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर महाविद्यालय भवन के विनियमितीकरण एवं प्रस्तावित निर्माण विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

अध्यक्ष मेसर्स हिन्दुस्तान सेवा संस्थान, बसन्त लाल सिंह/अध्यक्ष बृजराज सिंह गर्ल्स डिग्री कालेज नैनी इलाहाबाद के द्वारा आराजी संख्या-306 मौजा-नैनी, तालुका नैनी ददरी परगना अरैल, तहसील- करछना, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (4) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण/प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 14-07-2014 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-


1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 13 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
6. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से करनी होगी।
7. सोसायटी द्वारा महिला महाविद्यालय में विधवा निराश्रित, बालिकाओं एवं असहाय, अपाहिज व्यक्तियों को निःशुल्क प्रवेश शिक्षण कार्य पुस्तकालय, वाचनालय इत्यादि की सुविधा सदैव उपलब्ध करायी जायेगी, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा मानचित्र की स्वीकृति में दिये गये छूट वापस लेते हुए गणना पुनरीक्षित की जायेगी। तदनुसार अन्तर धनराशि आपको जमा करनी होगी। उक्त के क्रम में दिये गये शपथ पत्र दिनांक 27.05.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
8. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-एफ.पी./सी.एफ.ओ/आई-3/2014 दिनांक 05 अप्रैल, 2014 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पूर्व अन्तिम अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
9. मानचित्र में दर्शित अशमनीय भाग को स्ट्रक्चरल इन्जीनियर की देख-रेख में ध्वस्त कराना होगा, जिससे भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रभावित न हो तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी प्रकार की जन-धन की हानि न होने पाये।

Continued

Yup Am
22.7.2014

10. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
11. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
12. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
13. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
14. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
15. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।



(पुष्कर श्रीवास्तव)

विशेष कार्याधिकारी/प्र०अ०(त०स०-२)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

१९८८

M. K. SINGH & ASSOCIATES
 REGD. OFF: 90-C, NEW JUBILEE C.I. ROAD,
 BANARAS, UTTAR PRADESH, INDIA.
 25, N. NEW MARKET, MAIN ALAMBIC,
 RAIPUR, CHHATTISGARH, INDIA.
 E-MAIL: MKS@rediffmail.com
 PH: 09303200000, 09303200044

PROJECT:
 REVISION PLAN OF RAIPUR MAIN GIRLS' COLLEGE
 COLLEGE AT RAIPUR-492 006, MAIN ALAMBIC,
 BANARAS, UTTAR PRADESH, INDIA.
 APPROVED BY: [Signature]
 DATE: [Date]
 REVISION: [Revision]
 SHEET NO: [Sheet No]

INDEX:




- 1. TO BE DEMOLISHED AREA ARE SHOWN AS [Symbol]
- 2. PROPOSED AREA ARE SHOWN AS [Symbol]
- 3. EXISTING AREA ARE SHOWN AS [Symbol]

AREA DETAIL:

1. AREA OF PROPOSED PLAN NO. 008 = 4200.00 SQ. M.
 2. AREA OF EXISTING PLAN NO. 008 = 559.50 SQ. M.
 3. TOTAL AREA = 4759.50 SQ. M.

NOTE - ONLY THE DIMENSIONS SHOWN ARE FOLLOWED AND ALL DIMENSIONS ARE IN MM.

AREA STATEMENT	SQ. MT.
1. TOTAL LAND OR PLOT =	2845.50
2. LEFT LAND OR PLOT =	372.19
3. LEFT FLOOR AREA =	2294.31
4. EXIST. COV. AREA AT GROUND FLOOR =	497.95
5. DEMOLISHED AREA AT GROUND FLOOR =	465.94
6. DEMOLISHED AREA AT GROUND FLOOR =	47.35
7. EXIST. COV. AREA AT FIRST FLOOR =	80.38
8. DEMOLISHED AREA AT FIRST FLOOR =	465.64
9. DEMOLISHED AREA AT FIRST FLOOR =	47.38
10. EXIST. COV. AREA AT SECOND FLOOR =	184.23
11. DEMOLISHED AREA AT SECOND FLOOR =	47.10
12. DEMOLISHED AREA AT SECOND FLOOR =	114.13
13. PROPOSED COV. AREA AT SECOND FLOOR =	280.22
14. TOTAL COV. AREA AT GROUND FLOOR =	1088.35
15. TOTAL COV. AREA AT GROUND FLOOR =	2948.25
16. TOTAL COV. AREA AT GROUND FLOOR =	497.46
17. PROPOSED COV. AREA AT FIRST FLOOR =	497.46
18. PROPOSED COV. AREA AT SECOND FLOOR =	497.46
19. COVERED OR UNUIT =	91.51
20. F.F. AREA =	1.14
21. REFINISHED COVERED AREA =	30%
22. UNREFINED COVERED AREA =	31.25%



RAIPUR MAIN GIRLS' COLLEGE
 RAIPUR, CHHATTISGARH, INDIA.
 [Signature]
 [Date]